राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक - प.1(6)न्याय/2019 जयपुर, दिनांक 24-10-19

-::अधिसूचना::-

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतद्द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापन करती है, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार या सीमाएँ कॉलम संख्या 4 में अंकित अनुसार विनिर्दिष्ट की जाती है:-

क्र.स.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	स्थानीय क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, अजमेर	अजमेर	अन्तरित प्रकरण
2.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, अलवर	अलवर	अन्तरित प्रकरण
3.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, भरतपुर	भरतपुर	अन्तरित प्रकरण
4.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 3, बीकानेर	बीकानेर	अन्तरित प्रकरण
5.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 3, जोधपुर	जोधपुर	अन्तरित प्रकरण
6.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 2, उदयपुर	उदयपुर	अन्तरित प्रकरण

नोट:- क्रम संख्या 1 से 6 पर वर्णित पारिवारिक न्यायालयों को केवल उन्हीं प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार होगा जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय- समय पर उन्हें अन्तरित किये जायेगें।

साथ ही क्रम संख्या 1 से 3 एवं 6 मे वर्णित स्थानों पर पूर्व से कार्यरत पारिवारिक न्यायालयों के नाम परिवर्तित करते हुए पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 निर्धारित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

24.10.19

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।

3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलक्टर/ जिला एवं सैशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक, अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. प.2(4)न्याया/2015
15. रक्षित पत्रावली ।

(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव